e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 2, February 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

# भारत में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी : चुनौतियाँ और अवसर

**डॉ. ज्योति जांगिड़**

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

सेठ आर. एन. रूईया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी (सीकर), राजस्थान

**सारांश**

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही—सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में महिला सशक्तिकरण और उनकी राजनीतिक भागीदारी एक ऐसा विषय है, जो न केवल महिलाओं के अधिकारों बल्कि देश के समग्र विकास से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज, जो ऐतिहासिक रूप से एक पितृसत्तात्मक संरचना का हिस्सा रहा है, अब बदलाव की दहलीज पर है। प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर हुई। आजादी के बाद महिलाओं के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इस लेख में, हम भारत में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। हम इनसे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि महिलाओं की प्रगति न केवल उनका अधिकार है, बल्कि एक सशक्त और प्रगतिशील समाज के निर्माण की नींव भी है।

**मूल शब्द** — महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक—आर्थिक बाधाऐं, समान अधिकार

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

**प्रस्तावना :**

राजनीति में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल उन्हें सशक्त बनाती है, बल्कि नीति निर्माण में उनकी आवाज को शामिल करती है। हालांकि, महिला आरक्षण और अन्य प्रगतिशील नीतियों के बावजूद, उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। सामाजिक और आर्थिक बाधाओं, लैंगिक भेदभाव, और सांस्कृतिक रूढ़ियों ने महिलाओं की उन्नति में चुनौतियाँ खड़ी की हैं। राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अभी भी सतत कायम है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा के कुल 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। कुल 28 राज्यों में वर्तमान समय में केवल 1 महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। भारत में राष्ट्रपति से ज्यादा व्यावहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, इस पद केवल एक महिला का आ पाना सब कुछ उजागर करता है। भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक रूप से आज भी हमारे समाज का मूल पितृसत्ता के रूप में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय–समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर मोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। धर्म भी इसमें कई बार अपनी भूमिका अदा करता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। सबरीमाला या अन्य धर्म के स्थलों पर प्रवेश न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म–जाति के गठजोड़, रूढ़ि व अंधविश्वास ने महिलाओं को और शोषित किया है।

**भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी :**

भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, और न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति आज भी चुनौतियों और असमानताओं से घिरी हुई है। राजनीति, जो समाज का प्रतिबिंब मानी जाती है, में महिलाओं की भागीदारी केवल उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे निर्णय लेने और नीति–निर्धारण में उनकी सक्रिय भूमिका के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने निडर होकर संघर्ष किया और अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई। लेकिन आजादी

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

के बाद की राजनीति में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित रही। पंचायत स्तर पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे लाखों महिलाएँ राजनीति में शामिल हुईं। फिर भी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी न्यून है।

**भारतीय राजनीति में महिलाओं का वर्तमान परिदृश्य :**

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका धीरे–धीरे सशक्त हो रही है, लेकिन अभी भी यह पूर्ण समावेश से कोसों दूर है। 2019 की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत है, जो 1952 में पहली लोकसभा के 5 प्रतिशत से अधिक है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति केवल 9 प्रतिशत है, जिसमें छत्तीसगढ़ (18 प्रतिशत) सबसे आगे है, जबकि मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में यह नगण्य है। संसदीय आरक्षण विधेयक, जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, 2023 में चर्चा का केंद्र रहा। यह महिलाओं की निर्णयकारी भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि, भारत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में वैश्विक औसत (26.7 प्रतिशत) से पीछे है। यह परिदृश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती जागरूकता, संघर्ष और संभावनाओं का प्रतीक है, जो देश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक समावेशी और समान बनाने की दिशा में अग्रसर है

**स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका** – स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने साहसिक और प्रेरणादायक भूमिका निभाई। यह वह समय था जब महिलाओं ने समाज में स्थापित सीमाओं को तोड़कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और जनांदोलनों को सशक्त बनाया। महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। दुर्गा भाभी और मैडम भीकाजी कामा जैसी महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को न केवल राजनीतिक भागीदारी का मंच दिया, बल्कि उन्हें सशक्त होने का अवसर भी प्रदान किया।

**भारतीय राजनीति में महिलाओं का वर्तमान परिदृश्य** – स्वतंत्रता के बाद, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह अब भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। 17वीं लोकसभा (2019) में 78 महिला सांसद चुनी गईं, जो लोकसभा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यह कुल सीटों का केवल लगभग 14 प्रतिशत है। राज्य विधानसभाओं और राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक अभी भी लंबित है। महिला

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

नेताओं का योगदानरू इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, और मायावती जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक दलों में महिलाओं को कम टिकट मिलना, संसाधनों की कमी, और सामाजिक रूढ़ियाँ उनकी भागीदारी को सीमित करती हैं।

**73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी** – 1992 में लागू किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में एक क्रांति ला दी। इन संशोधनों के तहत, पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इनके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ह प्रकार के प्रभाव देखनें को मिलते है। सकारात्मक प्रभावों पर दृष्टि डाले तो 10 लाख से अधिक महिलाएँ देश भर में स्थानीय निकायों का हिस्सा बनीं। महिलाएँ अब न केवल जनप्रतिनिधि बनीं, बल्कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर विकास और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। वहीं नकारात्मक प्रभावों पर दृष्टिपात किया जाये तो एक पक्ष यह भी है की ''प्रॉक्सी नेतृत्व'' की समस्या, जहाँ महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रतिनिधि होती हैं और वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं। कुछ राज्यों (जैसे, बिहार और राजस्थान) ने महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उनकी भागीदारी और भी बढ़ी है।

**राजनीति में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ :**

वर्तमान परिदृश्य में ऐसे अनेक कारण है जो महिलाओं की राजनीति मे भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रमुख चुनौती का करी करते है। इससे संबन्धित प्रमुख कारण निम्नलिखित है–

- **पितृसत्तात्मक समाज** – राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी के मुख्य कारणों में पितृसत्तात्मक समाज तथा इसकी संरचनात्मक कमियाँ हैं। इसकी वजह से महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा में पुरुषों से काफी पीछे रह जाती हैं। लगभग एक–तिहाई महिलाएं पितृसत्तात्मक समाज को उनकी राजनीतिक भागीदारी में बाधा के रूप में देखती है।
- **घरेलू जिम्मेदारियाँ** –सर्वेक्षण में अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया कि घरेलू जिम्मेदारियाँ जैसे– बच्चों की देखभाल, घर के सदस्यों के लिये खाना बनाना व अन्य पारिवारिक कारणों से वे राजनीति में भाग नहीं ले पातीं। लगभग 13 प्रतिशत महिलाओं ने राजनीति में उनकी कम भागीदारी के लिये घरेलू जिम्मेदारियों को कारण माना है।
- **व्यक्तिगत कारण** – कई महिलाएँ व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेतीं। ये व्यक्तिगत कारण हैं– राजनीति में रुचि न होना, जागरुकता का अभाव, शैक्षिक पिछड़ापन

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

आदि। लगभग 40 प्रतिशत महिलाएँ आज भी व्यक्तिगत कारणों से राजनीति में हिस्सा लेने में सक्षम नहीं हैं।

- **सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं रूढ़िवाद** – सांस्कृतिक मानदंडों तथा रूढ़िवादिता के कारण भी महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं ले पातीं। सांस्कृतिक प्रतिबंधों में पर्दा प्रथा, किसी अन्य पुरुष से बातचीत न करना, महिलाओं का बाहर न निकलना आदि शामिल हैं। लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं सांस्कृतिक कारणों से वे राजनीति में भाग नहीं लेतीं।
- **सामाजिक–आर्थिक कारण** – कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके सशक्तिकरण और समाज में समता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन यह दुखद है कि आज भी महिलाएँ राजनीति में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से वंचित हैं। इसके पीछे प्रमुख कारणों में सामाजिक और आर्थिक अवरोध सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **राजनीति की नकारात्मक छवि** – आम लोगों में राजनीति की नकारात्मक छवि तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से भी महिलाएँ राजनीति में कम रूचि लेती हैं।
- **महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता** – राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश के राजनीतिक दलों तथा सरकारों ने उदासीनता प्रदर्शित की है। प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक ॅवउमद त्मेमतअंजपवद ठपससे), जो कि संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है, को पारित करने में सभी राजनैतिक दल निरुत्साहित प्रतीत होते हैं। ? इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष राजनीतिज्ञों को इस बात का भय रहता है कि महिलाओं के निर्वाचन से उनके दोबारा चुने जाने की संभावना कम या समाप्त हो सकती है जिसके लिये वे तैयार नहीं हैं।

## राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय–

1. **संसद में महिलाओं के लिये आरक्षण** – हालाँकि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा महिलाओं के लिये स्थानीय निकाय की एक–तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अन्य प्रयास किये जाने की भी आवश्यकता है। महिलाओं को लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पुरःस्थापित एवं पारित किये जाने की आवश्यकता है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

2. **राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिये आरक्षण –** यद्यपि यह कदम महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में कोई ठोस आश्वासन प्रदान नहीं करता है किंतु राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिये यह ठोस कदम हो सकता है। विश्व के कई देशों में यह प्रावधान किया गया है जैसे– स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्राँस आदि।
3. **महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु माहौल प्रदान करना –** राजनीति व अन्य विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि समाज में प्रत्येक स्तर पर महिला सशक्तीकरण तथा उनकी सामुदायिक भागीदारी के लिये प्रयास किये जाएँ ताकि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि गुणों का विकास हो।

**निष्कर्ष :**

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाती, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, और समग्र विकास की ओर अग्रसर करती है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि महिलाओं को न केवल राजनीति में प्रवेश के अवसर दिए जाएं, बल्कि उनके लिए अनुकूल वातावरण और समर्थन प्रणाली भी सुनिश्चित की जाए। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण उनके संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को समझने का एक सशक्त माध्यम है।

**Refrences:**

1. Banaszak, L. A. (2006). **The Gendering of Governance: Women’s Inclusion in Political Institutions in India**. *Gender & Society, 20*(5), 707–726.
2. Banerjee, S. (2008). **Women in Local Governance in India: Between Representation and Empowerment**. *Asian Journal of Political Science, 16*(2), 190–212.
3. Basu, A. (1992). **Two Faces of Protest: Contrasting Modes of Women's Activism in India**. Berkeley: University of California Press.
4. Chakrabarti, S., & Chaudhuri, M. (2012). **Indian Women in the House of Democracy: The Representation Gap**. *Economic and Political Weekly, 47*(14), 85–93.
5. Chhibber, P. (2002). **Why Are Some Women Politically Active? The Household, Public Space, and Political Participation in India**. *International Journal of Comparative Sociology, 43*(3-5), 409–429.

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 13, Issue 2, February 2024 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2024.1302086 |

6. Desai, N., & Thakkar, U. (2001). **Women in Indian Society**. New Delhi: National Book Trust.
7. Drèze, J., & Sen, A. (2002). **India: Development and Participation**. New Delhi: Oxford University Press.
8. Election Commission of India. (2019). **Statistical Reports on General Elections, 2019 and 2019**. Retrieved from eci.gov.in.
9. Gandhi, N., & Shah, N. (1992). **The Issues at Stake: Theory and Practice in the Contemporary Women's Movement in India**. New Delhi: Kali for Women.
10. Jayal, N. G. (2006). **Engendering Local Democracy: The Impact of Quotas for Women in India's Panchayats**. *Democratization, 13*(1), 15–35.
11. Kumar, R. (1993). **The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India 1800-1990**. New Delhi: Zubaan.
12. Mohanty, C. T. (2003). **Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity**. Durham: Duke University Press.
13. Mukhopadhyay, M. (2005). **Decentralization and Gender Equity in South Asia: An Issue Paper**. Ottawa: IDRC.
14. Palanithurai, G. (2005). **Dynamics of New Panchayati Raj System in India**. New Delhi: Concept Publishing Company.
15. Parliament of India. (2023). **Vital Statistics on Women in Indian Parliament**. Retrieved from PRS India.
16. Rai, S. M. (2002). **Gender and the Political Economy of Development**. Cambridge: Polity Press.
17. Rao, N., & Rajeswari, S. (2006). **Women in Panchayati Raj Institutions in India: An Analysis of Empowerment in Andhra Pradesh**. *Indian Journal of Gender Studies, 13*(1), 5–26.
18. Shvedova, N. (2005). **Obstacles to Women's Participation in Parliament**. In IDEA Handbook: *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Stockholm: International IDEA.

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com